### पत्रांक:- 15 / एम 1-214 / 2012 (अंश) शिक्षा विभाग बिहार सरकार

प्रेषक,

डॉo प्रोo रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक ......2022

विषय :- कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2130 दिनांक 20.07.2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमिशंयल प्लॉट नं0—सी—16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA, एवं B.Sc (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतर्र। (60—60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023—24 एवं 2024—25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120—120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों के निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जा जाती है:—

भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन, ह0 / – (रेखा कुमारी) निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक- 15/एम 1-214/2012 (अंश)-2226

पटना, दिनांक 28·07· 2022

प्रतिलिति:— निदेशक कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2. आई०२ी० पैनेजन, पिथा विभाग को विभागीय वेबआईट एउ अपनोट करने ऐनु पेषित।

निदेशक, उच्च शिक्षा



# PATLIPUTRA UNIVERSITY PATNA-800020

E- mail:patliputrauniversity2018@gmail.com registrar@ppup.ac.in

Ref.no:		Date:
	थियग्रगम	

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम 1-214/2012 (अंश) — 2226 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को व्यवसायिक पाठयक्रम BBM, BCA एव B.SC (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60-60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120-120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जाती है

'भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा"।

> E0/-(डॉ) जितेन्द्र कुमार) कलसचिव पार्टलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापाक R1880/27

दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थः पेषितः

- 1. प्राचार्य / सचिव, कैटलिस्ट कालज: कामार्थीयल प्लार्ट नं -सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना।
- डी० एस०डब्लू० / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना ।
- महाविद्यालय निरक्षिक (विज्ञान) पाठपाठयूठ, पटना ।
- माननीय कुलपति महोदय/प्रतिकुलपति महोदय/कुलसचिव क निजी सचिव, पी०पी०यू०,
- वंब संयोजक, पी०पी०यु०, पटना को अपलोड करने हेत्।
- 6 संरक्षित संचिका।

पाटलिपुत्र विश

## पत्रांक 15 / एम 1-214 / 2012 (अंश) बिहार सरकार शिक्षा विभाग

प्रेषक.

अरशद फिरोज,बिळके सरकार के उप सचिव।

सेवा में.

कुलसचिव,

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक-

2022

विषय:--

कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0- सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेत् सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 हारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0— सी—16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 के लिए अस्थायी संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक—1288 दिनांक 26.05.2022 हारा निर्गत निदेश के आलोक में राज्य सरकार हारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0—सी—16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार हारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2022—23 क लिए 60—60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासमाजन,

E0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

शायांकर-१३/एमा-२१४/२०१२ (अश) - २१३० . पटना, दिनाक २० ०५ . १२ .

प्रतिलिपि:- उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं0-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपस्रोड करने हेलू प्रेषित।

सारकार के उप सचिव

Shorton en/Kingl Variational Letter 2023

#### पत्रांक 15/एम 1-214/2012 बिहार सरकार शिक्षा विमाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,किक्करेक सरकार के उप सचिव।

सेवा में

कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक-

2021

विषय:- कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिंड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेत् सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1191/2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2021—22 के लिए संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में यर्णित प्रावधान के तहत संगंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2021—22 के लिए 60—60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासमाजन,

ह०/-(अरशद फिरोज) सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-15/एम1-214/2012 **-** 2526.

पटना, दिनांक 23.11.21

प्रतिलिपि:--उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विमाग को विमागीय वेबसाईट पर अपलोझ करने हेतु

प्रेषित ।

संस्कार के उप सचिव

Shorken sir/Attitiesion better 2021.



# PATLIPUTRA UNIVERSITY

## PATNA-800020

E-mail: - patliputrauniversity2018/@gmail.com registrar@ppup.ac.in

Ref.no:	 	 ***	440	 4.80		i

Date:			
-------	--	--	--

## अधिस्चना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम1 - 214/ 2012 - 1262 पटना, दिनांक 29/07/2020 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिंडिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्विवित पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटो पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटो का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है |

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ह०/-(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार) कुलसचिव पाटलिएत्र विश्वविद्यालय,पटना |

ज्ञापांक - RIPPUTATA/2020

दिनांक - 09/10/2000

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्य प्रेषित:-

- 1. प्राचार्य/ सचिव, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना |
- 2. डी०एस०डब्लू०/ परीक्षा नियंत्रक/ वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०,पटना को सूचनार्थ |
- महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञानं)/ (कला एवं वाणिज्य), पी०पी०यू०, पटना |
- 4. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव/ सहायक को माननीय के अवलोकनार्थ |
- वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु |
- 6. गार्ड फाइल |

कुलसर्चिव पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना |

Photos

#### पत्रांक 15/एम1-214/2012 बिहार सरकार शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,बिक्करेक सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक-

2020

विषय:-

कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PPU/ICA/77/2020 दिनांक 26.02.2020 द्वारां कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिंड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिंड्या कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल संधिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण का स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासमाजन,

E0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-15/एम1-214/2012 - 1262 ·

पटना, दिनांक 29.07.2020

प्रतिलिपि:--उप सचिव, शिक्षा विमाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हिडिया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर शिक्षा विभाग को विभागीय वससाइट पर अपलाड करन हतु

प्रेषित।

सर्कार के उप सचिव

### पत्रांक-15/एम 1-214/2012 बिहार सरकार शिक्षा विभाग

प्रेषक.

अरशद फिरोज, सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय :- कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के पत्रांक 55/GIIIB/19 दिनांक 30.04.2019 के आलोक में आपके पत्रांक R/PPU/1065/19 दिनांक 22.07.2019 से सी0डब्लू०जे०सी0 संख्या 5099/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में संबंधन एवं सीटों का निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(D) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए छात्रों का नामांकन हेतु 60–60 सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन, ह०/-(अरशद फिरोज) सरकार क उप साचव। पटना, दिनांक <u>19/1/1</u>9

ज्ञापांक :- 15/एम 1-214/2012 - 2.693

प्रतिलिपि:- निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

सरकार के उप सचिव



# PATLIPUTRA UNIVERSITY

PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com

Ref. no: RIPPU1/75 3/19

Date: 08/12/2017

To, The Principal Catalyst College, Ashok Rajpath, Patna

Subject: Issue of College Code

Your College/Institution Catalyst College, Kulharia Complex, Ashok Rajpath, Patna, Rajapul, Patna is being allotted the College Code — 445 for the purposes of Registration and Examination only

#### Important:

- a. The College has to provide a certificate of registration from Govt. of Bihar.
- College Code can be used for the purposes of registration and examinations only
- c. The College Code shall be valid only for the period of affiliation of the College with the university/ affiliating body.
- d. The College Code shall remain-withdrawn/ suspended if the institution is found to violate the norms of affiliation.
- c. The college has to furnish a certified copy of the seats allotted in different subjects/courses and faculties in a soft (excel sheet) and hard copy.
- f. The principal of the college has to ensure that the number of students enrolled in various subjects should not exceed the allotted seats in any circumstances. The college is liable for disciplinary action for any violation for good conduct.
- g. The college has to send the duly certified Alphabetical List of enrolled students in various subjects (subject-wise) in a soft (excel sheet) and hard copy within seven days of closure of admission in the session/course.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

(K.K Singh) 87 12-17 Registrar Patliputra University, Patna

Phans

#### Copy to:

- 1. Controller of Examinations
- 2. Inspector of Colleges, Science/Arts & Commerce
- 3. FA/FO
- 4. PS to VC/PVC
- 5. Guard File